न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीथवाडी)

मु.न. 70/2016

उनवान

1. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह
2. श्रीमती दिलकोष देवी पत्नि मुकेश कुमार
3. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री महेश कुमार
4. महेश कुमार पुत्र श्री प्रभूदयाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र गौमाराम
2. रामू पुत्र गोमाराम
3. जगदीश पुत्र गौमाराम
4. श्यामसुन्दर पुत्र हनुमान
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 14.05.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीथवाडी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खाता संख्या 523 खसरा नम्बर 1548 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.41 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 524 खसरा नम्बर 1547/2 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 525 खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.15 हैक्टेयर के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त खसरा नम्बर 1548 व 1547/2 की खातेदारी प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम 1/2, 1/2 भाग है। तथा खसरा नम्बर 1552 में प्रार्थीया संख्या 1 का हिस्सा 1/4 भाग एवं प्रार्थीया संख्या 2 का हिस्सा 1/4 भाग एवं प्रार्थीगण 3 व 4 का हिस्सा 1/2 भाग रिकार्डेड राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण की वर्तमान में फसल खडी है, एवं प्रार्थीगण के मकानात बने हुये है जिनका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण ही कर रहे है। उक्त भूमियों को प्रार्थना पत्र के अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया हैं।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थीगण के सींवजोड पडोसी खातेदार काश्तकार हैं। जो बदमाश व झगडालू प्रवृति के आदमी हैं। जो लठ्ठ के जोर पर प्रार्थीगण की भूमि विवादग्रस्त पर सींवतोड कर नाजायज अतिक्रमण करने की कुचेष्ठा करते हैं। प्रार्थीगण ने गांव के मौजीज आदमियों को बुलवाकर कई बार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के साथ समझाईश भी की है, लेकिन वे नही मानते हैं। आखिर में प्रार्थीगण ने श्रीमान

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जयपुर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार महोदय चौमूं को उक्त विवादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 13.06.2016 को श्रीमान तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश कमांक सीमा/2016/1784 दिनांक 06.05.2016 की पालना में विवादग्रस्त भूमि ग्राम चीथवाडी के आराजी खसरा नम्बर 1548, 1547/2, 1552 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर का मौके पर प्रार्थीगण खातेदार एवं पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की मौजूदगी में सीमाज्ञान हल्का पटवारी चीथवाडी द्वारा किया जाकर फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर ही तैयार कर उपस्थित खातेदारान व पडौसियों के हस्ताक्षर करवायें गये।

दिनांक 15.06.2016 को अप्राथीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी नही करने की धमकी देने व मौके पर विवाद करने से वाद कारण उदय हुआ। जो आज दिन तक निरन्तर जारी हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 1548, 1547/2, 1552 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलगी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रा. पत्र पेश कर जवाब हेतु एक ओर अवसर चाहा गया, जवाब हेतु पूर्व में भी अनेक अवसर दिये जा चुके है तथा अन्तिम अवसर भी दिनांक 19.11.2017 से दिया जा रहा हैं। ऐसी स्थिति में जवाब हेतु समय दिया जाना न्याय संगत नहीं हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बन्द किया जाता हैं। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 13.06.2016 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2016 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीथवाडी में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner